भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **754**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

नमो ड्रोन दीदी योजना

754. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:
श्री राजेश रंजन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को राज्य-वार वितरित किए गए ड्रोनों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) ड्रोन को संभालने के लिए जागरूकता पैदा करने और महिला एसएचजी को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने हैं;
(ग) सरकार द्वारा प्रशिक्षण और इन जागरूकता अभियानों के संचालन में किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार केरल के तटीय क्षेत्र में महिलाओं को ड्रोन वितरित करने की प्राथमिकताओं पर विचार कर रही है, जिससे उनकी आजीविका के अवसर बढ़ सकते हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): मंत्रिमंडल ने 3 साल (2023-24 से 2025-26) की अवधि के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी, ताकि उन्हें स्थायी व्यापार और आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा 2023-24 में अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके एसएचजी की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए गए हैं। 1094 ड्रोनों का राज्य-वार आवंटन **अनुलग्नक-क** में दिया गया है। ड्रोन दीदियों को बांटे गए इन 1094 ड्रोन में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत बांटे गए हैं। 500 ड्रोनों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

(ख): नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत ड्रोन सप्लाई के पैकेज में निम्न प्रशिक्षण शामिल हैं:

i. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) में पंद्रह दिनों का प्रशिक्षण स्कीम के पहले चरण के तहत उर्वरक कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से नमो ड्रोन दीदियों को प्रदान किया गया है। स्कीम के दूसरे चरण के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रचालन दिशा-निर्देशों में नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

ii. प्रशिक्षण में ड्रोन उड़ान, ड्रोन नियमों के प्रावधानों को समझना, पोषक तत्वों और कीटनाशक उपयोग के लिए एसओपी, ड्रोन उड़ान अभ्यास और ड्रोन की मामूली मरम्मत और रखरखाव शामिल हैं।

iii. कृषि प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण एक टीम द्वारा किया जाता है जिसमें ड्रोन निर्माताओं, केंद्रीय/राज्य संस्थानों जैसे एसएयूएस, केवीकेएस, आईसीएआर संस्थानों आदि के विशेषज्ञ शामिल होते है।

iv. एसएचजी के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य जिनकी रूचि बिजली के सामान, फिटिंग और यांत्रिक कार्यों की मरम्मत करने में होती है, का चयन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है, जिन्हें 5 दिनों के लिए ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

v. एनडीडी द्वारा ड्रोन के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें एनडीडी की सहायता के लिए हब के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा, एनडीडी को प्रदान किए गए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के अलावा, उर्वरक कंपनियों द्वारा एनडीडी को ड्रोन के उपयोग के बारे में उनकी निपुणता/ज्ञान बढ़ाने के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ग): नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत, एसएचजी को प्रदान किए गए ड्रोन के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है।

(घ) और (ड.): केरल राज्य में उर्वरक कंपनियों द्वारा वितरित कुल 17 ड्रोन में से 2 को नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत आवंटित किया गया है।

राज्य स्तरीय समितियां ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त समूहों के चयन, ड्रोन प्रदान करने के लिए पहचाने गए समूहों में राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील क्लस्टर स्तर के संघों और महिला एसएचजी के चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों के चयन, जिलेवार ड्रोन उपयोगों का आकलन, मौजूदा अंतर की पहचान के लिए जिम्मेदार हैं। ड्रोनों की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ड्रोन के उपयोग, फर्टिलाइजर कंपनी और कीटनाशक कंपनियों आदि के समन्वय से चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करना/सुनिश्चित करना है।

*****

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं.754 के भाग (क) से संबंधित है।

क्रम.सं	**राज्य का नाम**	**प्रदान किए गए ड्रोन की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	108
2.	असम	28
3.	बिहार	32
4.	छत्तीसगढ़	15
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	58
7.	हरियाणा	102
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	झारखंड	15
11.	कर्नाटक	145
12.	केरल	51
13.	मध्य प्रदेश	89
14.	महाराष्ट्र	60
15.	ओडिशा	16
16.	पंजाब	57
17.	राजस्थान	40
18	तमिलनाडु	44
19.	तेलंगाना	81
20.	उत्तर प्रदेश	128
21.	उत्तराखंड	3
22.	पश्चिम बंगाल	15
कुल		**1094**

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं.754 के भाग (क) से संबंधित है।

क्रम.सं.	राज्य का नाम	प्रदान किए गए ड्रोनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	96
2	असम	9
3	बिहार	5
4	छत्तीसगढ़	12
5	गुजरात	18
6	हरियाणा	22
7	हिमाचल प्रदेश	4
8	झारखंड	1
9	कर्नाटक	82
10	केरल	2
11	मध्य प्रदेश	34
12	महाराष्ट्र	30
13	ओडिशा	12
14	पंजाब	23
15	राजस्थान	19
16	तमिलनाडु	17
17	तेलंगाना	72
18	उत्तर प्रदेश	32
19	उत्तराखंड	3
20	पश्चिम बंगाल	7
कुल		**500**

****